



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-24102026-277415
CG-KA-E-24102026-277415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5557]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24, 2026/कार्तिक 2, 1948

No. 5557]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 2026/KARTIKA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 24 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5774(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7ए तथा धारा 20एफ के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में अधिकृत किया जाता है, ताकि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। यह प्राधिकरण इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा तथा तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में, जो कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित हैं, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंधन एवं संचालन के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लागू होगा।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
1.	तुमकूर-असिकेरे – टीके-एएसके खंड में होन्नावली रोड-अदिहल्ली (एचवीएल - एडीएचएल) स्टेशनों के बीच कि.मी. 152/800-900 पर समपार संख्या 90 के स्थान पर आरओबी के प्रस्तावित निर्माण का कार्य	तुमकूर	विशेष भू-अर्जन अधिकारी, तुमकूर-रायदुर्ग एवं तुमकूर-दावणगेरे, तुमकूर	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

आशुतोष माथुर, मुख्य इंजीनियर-IV/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 24th October, 2026

S.O. 5774(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as '**Competent Authority**' and the officers mentioned in column (5) of the table below as '**Arbitrator**' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl No	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
1.	Tumakur-Arsikere- Proposed construction of ROB in lieu of LC no. 90 at KM:152/800-900 between Honnavalli Road-Adihalli (HVL-ADHL) stations in TK-ASK section	Tumkur	SLAO, Tumkur-Rayadurga & Tumkur-Davanagere, Tumkur	Regional Commissioner, Bengaluru

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

ASHUTOSH MATHUR, Chief Engineer-IV/Construction